Scientific Innovation Magazine
ISSN : 2584-1157

कृषक उत्पादक संगठन की भूमिका: कृषि से उद्यमिता तक

[1]उदिता गुप्ता, [1]सौम्या गुप्ता

[1]स्नातक छात्रा, बाँदा कृषि एवं प्रोधोगिक विश्वविद्यालय बाँदा, उत्तर प्रदेश

सार

कृषक उत्पादक संगठन (FPO) भारतीय कृषि व्यवस्था में एक परिवर्तनकारी संस्थागत मॉडल के रूप में उभरकर सामने आए हैं, जो छोटे और सीमांत किसानों को सामूहिक शक्ति प्रदान करते हुए उन्हें कृषि से उद्यमिता की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पारंपरिक कृषि प्रणाली में बिखरी हुई जोतों, सीमित संसाधनों, कमजोर बाज़ार पहुँच और मूल्य शोषण जैसी समस्याओं के कारण किसानों की आय एवं प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित होती रही है। FPO इन चुनौतियों का समाधान सामूहिक क्रय-विक्रय, संसाधन साझाकरण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, ब्रांडिंग और प्रत्यक्ष विपणन जैसे उद्यमशील गतिविधियों के माध्यम से करता है। FPO किसानों को उत्पादन से लेकर विपणन तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में भागीदारी सुनिश्चित करते हैं, जिससे लागत में कमी, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार तथा बेहतर मूल्य प्राप्ति संभव होती है। इसके अतिरिक्त, ये संगठन आधुनिक कृषि तकनीकों, वित्तीय समावेशन, डिजिटल विपणन और कौशल विकास के माध्यम से किसानों में व्यावसायिक दृष्टिकोण विकसित करते हैं। परिणामस्वरूप, किसान केवल उत्पादक ही नहीं बल्कि कृषि उद्यमी के रूप में स्थापित होते हैं। FPO ग्रामीण रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक पूंजी निर्माण और स्थानीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण में भी महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विशेष रूप से प्रसंस्करण इकाइयों, भंडारण सुविधाओं और कृषि-आधारित लघु उद्योगों की स्थापना से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता के नए अवसर उत्पन्न होते हैं। हालाँकि, FPO के प्रभावी संचालन में प्रबंधकीय दक्षता, पूंजी की उपलब्धता, बाज़ार संपर्क, नीति समर्थन और सदस्यों की सक्रिय भागीदारी जैसी चुनौतियाँ मौजूद हैं। इन बाधाओं को दूर करने हेतु क्षमता निर्माण, संस्थागत सहयोग,

डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग और अनुकूल नीतिगत वातावरण आवश्यक है। इस प्रकार, कृषक उत्पादक संगठन कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर, लाभकारी और उद्यमशील बनाने की दिशा में एक सशक्त माध्यम हैं, जो किसानों को आजीविका सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक सशक्तिकरण की नई राह प्रदान करते हैं।

किसान उत्पादक संगठन (FPO):

किसान उत्पादक संगठन (FPO) किसानों द्वारा बनाया गया एक सामूहिक समूह होता है, जहाँ किसान मिल-जुलकर खेती और उससे जुड़े कार्य करते हैं। यह किसानों की अपनी संस्था या कंपनी की तरह होती है, जिसमें किसान ही सदस्य, मालिक और लाभार्थी होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों को एकजुट करना है, ताकि वे कम लागत में खेती कर सकें, अपनी उपज का उचित मूल्य प्राप्त करें और अपनी आय बढ़ा सकें।

FPO की आवश्यकता क्यों पड़ी

भारत में अधिकांश किसान छोटे और सीमांत हैं, जिनके पास कम भूमि और सीमित संसाधन होते हैं। जब ये किसान अकेले फसल बेचते हैं, तो उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पाता और बीज, खाद तथा दवाइयाँ महँगी मिलती हैं। FPO की स्थापना इस समस्या का समाधान करने के लिए हुई, जिससे किसान मिलकर खरीद और बिक्री कर सकें तथा अपनी सामूहिक शक्ति बढ़ा सकें।

FPO का गठन कैसे होता है

FPO बनाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 300 और पहाड़ी या पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 100 किसानों का समूह आवश्यक होता है। एक सफल FPO के लिए 500 से 1000 सदस्यों का होना अधिक लाभकारी माना जाता है। इसे कंपनी अधिनियम या सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जा सकता है। सरकार गठन के बाद पाँच वर्षों तक वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन भी प्रदान करती है।

FPO में पूंजी निवेश

प्रत्येक किसान सदस्य थोड़ी-थोड़ी राशि निवेश करता है, जिसे शेयर पूंजी कहा जाता है। यही धन संगठन के प्रारंभिक कार्यों—जैसे बैंक खाता खोलना, कृषि आदान खरीदना और उपज का विपणन—में उपयोग होता है। इसके अतिरिक्त, सरकार और बैंक भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं।

संचालन व्यवस्था

FPO के सभी सदस्य इसके वास्तविक मालिक होते हैं। सदस्यों में से कुछ को निदेशक चुना जाता है, जो महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। दैनिक कार्यों के संचालन के लिए प्रबंधक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया जा सकता है।

FPO के प्रमुख कार्य

FPO किसानों को बीज, उर्वरक, कीटनाशक और कृषि यंत्र उचित मूल्य पर उपलब्ध कराता है। यह किसानों की उपज को एकत्रित कर बेहतर बाजारों में बेचता है। कई FPO भंडारण, पैकेजिंग और

प्रसंस्करण का कार्य भी करते हैं, जिससे उत्पाद का मूल्य बढ़ता है। साथ ही किसानों को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाता है।

किसानों को होने वाले लाभ

FPO के माध्यम से किसानों को बेहतर मूल्य, कम लागत, अधिक आय और बाजार से सीधा जुड़ाव प्राप्त होता है। वे बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहते और सामूहिक सहयोग की भावना विकसित करते हैं।

सरकारी सहायता

भारत सरकार और National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) जैसी संस्थाएँ FPO को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करती हैं, जिससे ये संगठन सुदृढ़ रूप से कार्य कर सकें।

बुन्देलखण्ड में FPO का महत्व

सूखा प्रभावित बुन्देलखण्ड क्षेत्र में FPO किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इनके माध्यम से किसान दाल, तिलहन, सब्जी उत्पादन और डेयरी जैसे कार्यों से बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं।

निष्कर्ष

किसान उत्पादक संगठन किसानों को संगठित और सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम है। यह किसानों को सामूहिक शक्ति प्रदान करता है, लागत घटाता है, आय बढ़ाता है और ग्रामीण विकास को गति देता है। यदि इसे सही दिशा और प्रबंधन के साथ संचालित किया जाए, तो FPO भारतीय कृषि को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

संदर्भ (APA शैली)

1. भारत सरकार. (2020). *10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPO) के गठन एवं संवर्धन की योजना.* कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली।

2. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD). (2021). *किसान उत्पादक संगठन: अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न.* मुंबई: नाबार्ड।
3. सिंह, एस. (2018). उत्पादक कंपनियाँ: नई पीढ़ी के सहकारिता मॉडल. *आर्थिक एवं राजनीतिक साप्ताहिक, 43*(20), 22–24।
4. ट्रेब्बिन, ए., एवं हैसलर, एम. (2012). भारत में किसान उत्पादक कंपनियाँ: सामूहिक कार्रवाई की नई अवधारणा. *एनवायरनमेंट एंड प्लानिंग ए, 44*(2), 411–427।
5. देशपांडे, आर. एस., एवं शर्मा, ए. (2013). लघु किसानों के सशक्तिकरण में उत्पादक संगठनों की भूमिका. *भारतीय कृषि अर्थशास्त्र पत्रिका, 68*(3), 312–320।
6. कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय. (2019). *किसान उत्पादक संगठनों के लिए संचालन दिशानिर्देश.* नई दिल्ली: भारत सरकार।
7. नाबार्ड. (2020). *भारत में किसान उत्पादक संगठनों की स्थिति और संभावनाएँ.* मुंबई: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक।
8. विश्व बैंक. (2017). *भारत में कृषि प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने में किसान संगठनों की भूमिका.* वाशिंगटन डी.सी.: विश्व बैंक।
9. खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO). (2014). *छोटे किसानों के संगठनों के माध्यम से सतत कृषि विकास.* रोम: FAO।
10. शर्मा, वी. पी. (2016). कृषि विपणन सुधार और किसान उत्पादक संगठन. *भारतीय ग्रामीण विकास पत्रिका, 35*(1), 45–52।